संशोधित अध्यादेश क्रमांक - 104

संशोधित अध्यादेश क्रमांक - 104

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्वाध्याय की गुणवत्ता में अभिवृद्धि के उत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा दूरवर्ती शिक्षा संस्थान का शुभारम्भ किया जा रहा है। यह संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा स्ववित्तीय आधार पर संचालित होगा।

1. उद्देश्य :

दूरवर्ती शिक्षा संस्था की स्थापना की पृष्ठभूमि में अनेक लक्ष्य प्रेरणा स्रोत है, यथा -

(1) उच्च शिक्षा हेतु शिक्षार्थियों को स्वयंस्फूर्त स्वाध्याय पद्धति के लिये प्रेरित करना,

(2) शिक्षार्थियों को बहुआयामी युक्त शिक्षा के Multidimentional Open Education अवसर उपलब्ध कराना,

(3) उच्च शिक्षा के क्षेत्र को व्यापक आधार प्रदान करना,

(4) जीवनोपयोगी कौशलों को प्रोन्नत करने के अवसरों का सृजन करना, तथा सर्वोपरि

(5) ज्ञान एवं शिक्षा को जीवन-पर्यन्त सीखने की प्रक्रिया के रूप में विकसित करना।

(6) महिलाओं तथा शैक्षिक दृष्टि से वंचित वर्ग को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना ताकि वे स्वस्थ समाज की संरचना में अपना योगदान कर सकें।

2. प्रविधि Methodology :

सुदूर अंचलों के साथ ही नगरीय क्षेत्रों में भी औपचारिक शिक्षा के समानान्तर स्वाध्याय के माध्यम से उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ कराने हेतु दूरवर्ती शिक्षा के लिये निम्नलिखित प्रविधि होगी। -

(A) केन्द्रित ग्रंथालय पद्धति Central Library System :

विश्वविद्यालय स्तर पर दूरवर्ती शिक्षार्थियों के लिये केन्द्रित ग्रंथालय की सुविधा उपलब्ध होगी।

(B) मार्गदर्शन एवं परामर्श Guidance And Counselling :

दूरवर्ती शिक्षार्थियों के लिये संस्थान सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों Information And Guidance Centres की स्थापना करेगा। सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायेंगे तथा उन्हें आवश्यक परामर्श एवं मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे।

संस्थान जहां भी आवश्यक होगा सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित करेगा। अशासकीय महाविद्यालय अथवा गैर व्यवसायिक विधिवत् पंजीबद्ध शैक्षणिक समितियों द्वारा

संचिलित शिक्षा केन्द्रों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र अपने-अपनेक्षेत्र में दूरवर्ती शिक्षार्थियों के सहायतार्थ संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत रहेंगे।

प्रत्येक सूचना-मार्गदर्शन केन्द्र का एक प्रभारी होगा जो उस संस्था का प्राचार्य या प्राचार्य द्वारा मनोनीत व्यक्ति हो सकता है। प्रत्येक सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र को उस केन्द्र पर जमा आवेदन-पत्रों एवं शुल्क राशि का 10% भाग प्रोत्साहन राशि के रूप में देय होगा।

(C) पाठ्यक्रम सामग्री Course Material :

संस्थान दूरवर्ती शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध करायेगा। प्रत्येक विषय में विद्वान प्राध्यापकों/विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण अध्यायों से संबंधित पत्राचार पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी जा सकेगी।

विशेषज्ञों द्वारा तैयार पाठ्यक्रम को परीक्षण हेतु गठित Review Committee के सम्मुख प्रस्तुत किया जावेगा। तैयार पाठ्य सामग्री का समय-समय पर पुनरीक्षण अनिवार्य होगा।

(D) मूल्यांकन पद्धति Evaluation System :

दूरवर्ती शिक्षार्थियों के लिये द्विस्तरीय मूल्यांकन पद्धति होगी -

1. Tutor Marked Assignment (TMA) :- वार्षिक परीक्षा में प्रवेश लेने के पूर्व शिक्षार्थी को (TMA) पूरा करना होगा। प्रत्येक विषय के लिये TMA हेतु एक-एक प्रश्न-पत्र शिक्षार्थी को प्रेषित किया जावेगा। TMA पर प्रत्येक विषय में पूर्णांक का 20% अंक निर्धारित होगा।

2. वार्षिक परीक्षा - प्रत्येक अकादमिक सत्र के अन्त में शिक्षार्थी को वार्षिक परीक्षा देना होगा।

3. प्रश्न-पत्रों के सेटिंग एवं मूल्यांकन के लिये परीक्षकों की नियुक्ति संचालक, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा किया जायेगा।

(E) संपर्क कार्यक्रम Contact Programme :

प्रत्येक शिक्षार्थी को संस्थान के मुख्यालय अथवा निर्देशित सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र पर निर्धारित अवधि के लिये संपर्क कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा।

संपर्क कार्यक्रम की अवधि में शिक्षार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ ही परीक्षा आवेदन पत्र भी भरा जावेगा।

3. क्षेत्राधिकार Jurisdiction :

दूरवर्ती शिक्षा संस्थान का क्षेत्राधिकार विश्वविद्यालय अधिनियम में निर्धारित क्षेत्राधिकार के साथ ही पूरा देश होगा। लोकप्रियता एवं दूरवर्ती शिक्षा पद्धति की सफलता पर इसका क्षेत्राधिकार विदेशों में भी हो सकेगा।

4. शिक्षार्थियों का पंजीयन एवं प्रवेश Registration and Admission of Learners :

(A) पंजीयन : विभिन्न पाठ्यक्रमों में दूरवर्ती शिक्षार्थियों के प्रवेश/पंजीयन की पात्रता विश्वविद्यालय के विद्यमान अध्यादेशों के अनुसार यथावत् रहेगी।

संस्थान पूरे देश में शिक्षार्थियों का दूरवर्ती शिक्षा के लिये पंजीयन कर सकेगा। शिक्षार्थियों का पंजीयन प्रथमत: आवेदित पाठ्यक्रम की न्यूनतम निर्धारित अवधि के लिये किया जावेगा। निर्धारित न्यूनतम अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण न कर पाने की स्थिति में शिक्षार्थी को पुन: पंजीयन कराना होगा, इसके लिये शिक्षार्थी को समस्त शुल्क भुगतान करना होगा।

प्रत्येक अकादमिक सत्र के प्रारंभ में दूरवर्ती शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक छात्र-छात्राओं के पंजीयन के लिये अधिसूचना जारी की जावेगी।
प्रत्येक शिक्षार्थी को एक पंजीयन संख्या Registration Number आबंटित किया जायेगा।

(B) प्रवेश Admission :

B- 1. पंजीयन एवं प्रवेश के लिये दूरवर्ती शिक्षार्थियों को निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा। पंजीयन एवं प्रवेश शुल्क संचालक दूरवर्ती शिक्षा संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम रायपुर में देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जा सकेगा।

B- 2. दूरवर्ती शिक्षा संस्थान में किसी विशेष सत्र में किसी विशेष पाठ्यक्रम हेतु पंजीयन कराने की स्थिति में वह शिक्षार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय के उसी पाठ्यक्रम में पंजीयन नहीं करा सकेगा।

B- 3. ऐसे छात्र भी संस्थान में पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं जो पात्रता परीक्षा में बैठ रहे हैं या जिनका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षित (awaited) है। ऐसे छात्रों के लिये 30 दिसंबर के पूर्व अपनी पात्रता प्रमाणित करने के लिये आवश्यक अभिलेख जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका पंजीयन/ प्रवेश आवेदन स्वत: निरस्त माना जावेगा। निरस्तीकरण की स्थिति में छात्र को शुल्क वापसी की पात्रता नहीं होगी।

B- 4. दूरवर्ती शिक्षा संस्थान में पंजीयन हेतु पृथक से प्रवासन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) या आप्रवासन शुल्क इत्यादि जमा करने की कोई बाध्यता नहीं होगी।

B- 5. दूरवर्ती शिक्षा संस्थान के किसी भी पाठ्यक्रम में भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय की समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षार्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।

B- 6. प्रवेश आवेदन पत्र निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अभाव में निरस्त किया जा सकेगा :-

(अ) शिक्षार्थी पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं करता हो।

(ब) शिक्षार्थी द्वारा उल्लेखित पात्रता परीक्षा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा मान्य न हो।

(स) शिक्षार्थी द्वारा पूरा निर्धारित शुल्क न प्रेषित किया गया हो।

(द) आवेदन पत्र अपूर्ण हो।

प्रथम चरण में पंजीयन या प्रवेश प्रावधानिक होगा।

5. अध्ययन पाठ्यक्रम Courses of Study :

दूरवर्ती शिक्षा संस्थान द्वारा दूरवर्ती/मुक्त शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से सत्र 2003-04 से निम्नलिखित अध्ययन पाठ्यक्रमों का संचालन किया जावेगा जो समय-समय पर आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित किये जा सकेंगे :-

5.A स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम :

न्यूनतम प्रवेश पात्रता - हायर सेकेन्डरी स्कूल सर्टिफिक्रेट (10 + 2)
निर्धारित न्यूनतम अवधि - तीन वर्ष

(1) बी.ए. (B.A.) - सभी अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय
अध्यादेश क्रमांक- 11 के प्रावधानों के अनुसार

(2) बी.काम. (B. Com.) - सभी अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय
अध्यादेश क्रमांक- 23 के प्रावधानों के अनुसार

(3) बी.एस.सी. (B.Sc.) - सभी अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय
अध्यादेश क्रमांक- 21 के प्रावधानों के अनुसार

(4) बी.लिब.एस.सी. (B.Lib. Sc.) - सभी अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय
अध्यादेश क्रमांक- 14 के प्रावधानों के अनुसार

(5) बी.बी.ए. (B.B.A.) - सभी अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय
अध्यादेश क्रमांक- 101 के प्रावधानों के अनुसार

(6) बी.एच.एस.सी. (B.H.Sc.) - सभी अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय
अध्यादेश क्रमांक- 11 के प्रावधानों के अनुसार

(7) B. Ed. - न्यूनतम पात्रता - स्नातक
न्यूनतम अवधि - 02 वर्ष

(8) B. P. Ed. - न्यूनतम पात्रता - स्नातक
न्यूनतम अवधि - 01 वर्ष

5. B- स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम :

प्रवेश पात्रता - स्नातक

न्यूनतम निर्धारित अवधि - 02 वर्ष

1. एम. ए. (M.A.) - सभी विषय
   अध्यादेश क्रमांक 13 के प्रावधानों के अनुसार
2. एम.काम (M.Com.) - सभी विषय
   अध्यादेश क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार
3. Master of Human Resource Management (M.H.R.M.)
4. Master of Marketing Management (M.M.M.)
5. Master of Financial Management (M.F.M.)
6. Master of Rural And Tribal Development (M.R.T.D.)
7. M.P.Ed.

5. C- डिप्लोमा पाठ्यक्रम :

प्रवेश पात्रता - स्नातकोत्तर

न्यूनतम निर्धारित अवधि - 01 वर्ष

1. P.G.Diploma in Adult Education And Extension
2. P.G.Diploma in Banking And Management.
3. P.G.Diploma in Rural Development.
4. P.G.Diploma in Food And Nuitrition.
5. P.G.Diploma in Financial Management.
6. P.G.Diploma in Human Right Education.
7. P.G.Diploma in Material Management.
8. P.G.Diploma in Population and Health Management.
9. P.G.Diploma in Industrial Management.
10. P.G.Diploma in Agricultural Management.
11. P.G.Diploma in Hotel Tourism.
12. P.G.Diploma in Information Technology.
13. P.G.Diploma in Environmental Science.
14. P.G.Diploma in Regional Planning and Development.

6. विभिन्न पाठ्यक्रमों की अध्ययन अवधि (Study Period of Different Courses) :

दूरवर्ती शिक्षा पद्धति में पूरक परीक्षा का प्रावधान नहीं होगा। अतः शिक्षार्थी को निर्धारित पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों को अतिरिक्त प्रयासों में पूर्ण करने की सुविधा होगी। दूरवर्ती शिक्षा पद्धति में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये न्यूनतम प्रवेश पात्रता, न्यूनतम पाठ्यक्रम अवधि तथा अधिकतम पाठ्यक्रम अवधि नीचे दी गयी तालिका के अनुसार होगी :-

क्र.	पाठ्यक्रम	न्यूनतम प्रवेश	न्यूनतम अवधि	अधिकतम अवधि
01.	स्नातक स्तरीय	10 + 2	03 वर्ष	05 वर्ष
	B. A.	तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित प्रश्न-पत्र		
	B. Com.	न्यूनतम 03 वर्षों के अतिरिक्त 02 वर्ष अर्थात् कुल 05 वर्षों में		
	B. Sc.	उत्तीर्ण करना होगा।		
	B. Lib. Sc.	स्नातक	01 वर्ष	02 वर्ष
	B. B. A.	10 + 2	03 वर्ष	05 वर्ष
	B. H. Sc.	10 + 2	03 वर्ष	05 वर्ष
	B. Ed.	स्नातक	01 वर्ष	02 वर्ष
	B. P. Ed.	स्नातक	01 वर्ष	02 वर्ष
02.	स्नातकोत्तर स्तरीय :			
	- M. A. सभी विषय	स्नातक	02 वर्ष	03 वर्ष
	- M. Com. सभी विषय	स्नातक	02 वर्ष	03 वर्ष
03.	डिप्लोमा स्तरीय :			
	All P. G. Diploma	स्नातक	01 वर्ष	02 वर्ष

स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तीन भागों में, स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम दो भागों में तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम एक भाग में विभाजित होगा। स्नातक स्तर के शिक्षार्थी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाग की परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम के प्रश्न-पत्र ही दे सकेंगे। भाग-1 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा भाग-2 की परीक्षा के साथ तथा भाग -2 में अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा भाग-3 की परीक्षा के साथ दी जा सकेगी। भाग-1, भाग-2 एवं भाग- 3 के न्यूनतम अवधि में अनुत्तीण विषयों परीक्षा अतिरिक्त दो वर्षों में दी जा सकेगी। इसके पश्चात पंजयीन निरस्त हो जायेगा। तद्नुसार अवधि की व्यवस्था स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये भी होगी।

7. परीक्षा एवं परीक्षा केन्द्र :

7.A- परीक्षा : दूरवर्ती शिक्षा पद्धति के शिक्षार्थियों की परीक्षा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक-6 के अनुसार होगी। परीक्षा वार्षिक आधार पर होगी। शिक्षार्थियों के लिये पूरक परीक्षा, पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं होगा।

7.B परीक्षा केन्द्र :

- भौगोलिक दृष्टि से सन्निकट सामान्यतया 10 से लेकर 15 सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के एक समूह पर एक परीक्षा केन्द्र स्थापित किया जायेगा। किसी भी पाठ्यक्रम के लिये कम से कम 20 परीक्षार्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र की व्यवस्था होगी।
- प्रायोगिक प्रावधान वाले पाठ्यक्रमों के लिये प्रायोगिक की व्यवस्था निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर ही की जावेगी।

7.B परीक्षा केन्द्रों का संचालन :

केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति संचालक, दूरवर्ती शिक्षा संस्थान की अनुशंसा पर कुलसचिव द्वारा की जावेगी। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिये कुलसचिव द्वारा एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जावेगा। पर्यवेक्षक गोपनीय परीक्षा सामग्री लेकर केन्द्रों को उपलब्ध करावेगा तथा परीक्षा का संचालन उसी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न होगा।

7.D परीक्षा पारिश्रमिक

परीक्षा संचालन, निरीक्षण, मूल्यांकन इत्यादि का पारिश्रमिक IGNOU द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप कुलपति द्वारा निर्धारित होगा।

8. अध्ययन सामग्री का निर्माण एवं वितरण :

- दूरवर्ती शिक्षा संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये पठन-पाठन सामग्री एवं प्रश्न बैंक उपलब्ध करायेगा।
- पाठ्यक्रमों के लिये अध्ययन सामग्री का निर्माण विषय विशेषज्ञों से कराया जावेगा।
- शिक्षार्थियों को अध्ययन सामग्री संस्थान के सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से या सीधे By Post उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षार्थियों को डाक व्यय का भुगतान पृथक से करना होगा।

- तैयार अध्ययन सामग्री के Preview एवं Review हेतु संस्थान द्वारा समय-समय पर कार्यशालायें आयोजित की जावेंगी।

- पाठ्यक्रम सामग्री हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध कराया जावेगा।

9. **विविध प्रावधान :** दूरवर्ती शिक्षा संस्थान से संबंधित किसी भी प्रकार का वाद रायपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दायर किया जा सकेगा।

परि0-"क"

पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय-रायपुर [म0प्र0]

अध्यादेश क्रमांक-104
दूरवर्ती शिक्षा

1/ आधार   विश्वविद्यालय के क्षेत्रान्तर्गत सुदूर ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षणिक विषमता को यथाशक्ति कम करने तथा सबको समान शैक्षणिक अवसरों की उपलब्धि के उद्देश्य से दूरवर्ती शिक्षा संस्थान की स्थापना की जा रही है।

दूरवर्ती शिक्षा संस्थान का मुख्य आधार स्वाध्याय के माध्यम से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को निरन्तर बनाये रखना तथा उसमें उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करने का प्रयास करना है।

// पाठ्यक्रम, प्रवेश पात्रता एवं परीक्षा पद्धति -

दूरवर्ती शिक्षा केन्द्र निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में स्वाध्यायी - शिक्षार्थियों के लिये समान अवसर एवं सुविधायें उपलब्ध करायेगा -

[2.1] स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम -

निर्धारित अवधि - 10 + 2
तीन वर्षीय - न्यूनतम प्रवेश -
अधिकतम पांच वर्ष   योग्यता

[अ] बी0ए0- सभी अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय, अध्यादेश क्रमांक-11 के प्रावधानों के अनुसार।

[ब] बी0कॉम0-सभी अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय अध्यादेश क्रमांक-23 के प्रावधानों के अनुसार।

[स] बी0एस0सी0-
सभी अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय
अध्यादेश क्रमांक-21 के प्रावधानों के अनुसार।

[द] बी0लिब0एस0सी0-
अध्यादेश क्रमांक- 14 के प्रावधानों के अनुसार।

[इ] बी0बी0ए0-
अध्यादेश क्रमांक-101 के प्रावधानों के अनुसार।

[फ] बी0एच0एस0सी0-
अध्यादेश क्रमांक-27 के प्रावधानों के अनुसार।

[ज] बी0-जे0-- -

..2/

(2.2) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम

	निर्धारित अवधि दो वर्षीय अधिकतम तीन वर्ष	स्नातक न्यूनतम प्रवेश योग्यता

(अ) एम०ए० – सभी विषय
अध्यादेश क्रमांक-13 के प्रावधानों के अनुसार ।

(ब) एम०कॉम० – सभी विषय
अध्यादेश क्रमांक-24 के प्रावधानों के अनुसार ।

(स) एम०बी०ए० – अध्यादेश क्रमांक-83 के प्रावधानों के अनुसार ।

(2.3) पत्रोपाधि पाठ्यक्रम –

	निर्धारित अवधि- एक वर्षीय अधिकतम दो वर्ष	स्नातकोत्तर न्यूनतम – प्रवेश योग्यता

(अ) पी०जी० डिप्लोमा इन फारेन्सिक विज्ञान ।

(ब) पी०जी० डिप्लोमा इन एडल्ट एजूकेशन एण्ड एक्स टेंशन
अध्यादेश क्रमांक-83 के प्रावधानों के अनुसार

(स) पी०जी० डिप्लोमा इन बैंकिंग एण्ड बिज़नेस मैनेज़मेन्ट

(द) पी०जी० डिप्लोमा इन रुरल डेव्हॅलपमेंट

(ई) पी०जी० डिप्लोमा इन फूड एण्ड न्यूट्रीशन

(फ) पी०जी० डिप्लोमा इन फाईनेन्सियल मैनेज़मेन्ट

(ज) पी०जी० डिप्लोमा इन ह्यूमन राईट एजूकेशन

(ह) पी०जी० डिप्लोमा इन मैटिरियल मैनेजमेन्ट

3/ प्रविधि– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गैर संस्थागत शिक्षार्थियों के स्वाध्याय की गुणवत्ता को विकसित करने के लिये दूरवर्ती शिक्षा पद्धति में निम्नलिखित प्रविधि/पद्धतियों का प्रयोग किया जायेगा–

(अ) केन्द्रित ग्रंथालय सुविधा
(ब) मार्ग दर्शन एवं परामर्श
(स) दृश्य-श्रव्य संसाधनों का प्रयोग
(द) पत्राचार एवं प्रश्नबैंक पद्धति

4/ पाठ्यक्रम अवधि एवं पंजीयन–

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यादेशों के अनुसार स्नातक स्तर के – पाठ्यक्रमों की पूर्णता अवधि तीन वर्ष, स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों की

अवधि दो वर्ष एवं पत्रोपाधि स्तर के पाठ्यक्रमों की अवधि एक वर्ष होगी । किन्तु दूरवर्ती शिक्षा पद्धति की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि पांच वर्ष, स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि तीन वर्ष एवं पत्रोपाधि स्तर पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि दो वर्ष होगी। निर्धारित न्यूनतम अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण न कर पाने की स्थिति में शिक्षार्थी को पुनः पंजीयन कराने हेतु समस्त शुल्क भुगतान करना होगा ।

..//..